सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–237/2018/रीडर/2018/ 694 दिनाँक 19.7.18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. भागीरथमल पुत्र लच्छाराम, उम्र–43साल, जाति–अहीर, निवासी–अहीरों का बास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1.काना पुत्र गोदू, जाति–अहीर, निवासी–अहीरों का बास, सुद्रासन, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना(नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 237/2018 दायर दिनाँक 06.07..2018

<table>
<tr><th>वादी</th><th></th><th>प्रतिवादीगण</th></tr>
<tr><td>1. भागीरथमल पुत्र लच्छाराम,
उम्र–43साल, जाति–अहीर,
निवासी–अहीरों का बास,
तहसील–डीडवाना,
जिला–नागौर, राजस्थान।</td><td>बनाम्</td><td>1.काना पुत्र गोदू,
2.सुखा पुत्र गोदू,
3.देबू पुत्र गोदू,
4.पीथा पुत्र गोदू,
5.भगवती पत्नी जगदीश,
6.बनवारीलाल पुत्र जगदीश,
7.अरविन्दकुमार पुत्र जगदीश,
8.सिणगारी पत्नी लच्छाराम,
9.रामेश्वर पुत्र लच्छाराम,
10.टोडाराम पुत्र लच्छाराम,
11.चम्पादेवी पत्नी भँवरलाल,
12.योगेश पुत्र भँवरलाल,
13.मनीषा पुत्री भँवरलाल,
14.प्रदीप पुत्र भँवरलाल,
15.रामकुँवार पुत्र मूलाराम,
16.गोदीदेवी पत्नी मूलाराम,
समस्त,जाति–अहीर,
निवासी–अहीरों का बास,
सुद्रासन, तहसील–डीडवाना,
जिला–नागौर, राजस्थान,
17.शाखा प्रबन्धक, सहकारी
कॉपरेटिव बैंक,
शाखा–डीडवाना,
तहसील–डीडवाना,
जिला–नागौर, राजस्थान,
18.शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार
ग्रामीण बैंक, शाखा–नूँवा,
तहसील–डीडवाना,
जिला–नागौर, राजस्थान,
19.उप तहसीलदार मौलासर,
तहसील–डीडवाना,
जिला–नागौर, राजस्थान,
20.तहसीलदार डीडवाना,
जिला–नागौर, राजस्थान।</td></tr>
</table>

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनांक 11.07.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादी व श्री विक्रम कुड़ी, वकील, प्रतिवादीगण ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद अहीरों का बास के वादवर्णित/वादग्रस्त खसरान् की भूमियों की वर्तमान खातेदारी को खारिज कर, इसके स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–,

1. खसरा नम्बर 697/310 रकबा 12.13 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 700/332 रकबा 02.10 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 14 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 (काना, सुखा, देबू, पीथा, भगवती, बनवारी व अरविन्द) का नाम हटाया जाता है।

2. खसरा नम्बर 646 रकबा 11.10 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 14 (सिणगारी, रामेश्वर, टोडाराम, चम्पादेवी, योगेश, मनीषा व प्रदीप) का नाम हटाया जाता है।

3. खसरा नम्बर 752/646 रकबा 11.09 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 15 व 16 (रामकुँवार व गोदीदेवी) का नाम हटाया जाता है।

4. खसरा नम्बर 739/562 रकबा 24.05 बीघा भूमि में से रकबा 11.09 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 15 व 16 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 (काना, सुखा, देबू, पीथा, भगवती, बनवारी व अरविन्द) का नाम हटाया जाता है तथा इस खसरे के शेष रकबा की खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

5. पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करावें।

उपर्युक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नोटः–<u>आदेश वर्णित उपर्युक्त खसरान् की भूमियों के, दीगर बैंक्स में रहन होने पर, भूमि के रहन मुक्त होने के बाद ही, डिक्री की पालना हो।</u>

नीज.........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **11.07.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	—		महनताना वकील		
सबूत	—		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 237/2018 दायर दिनाँक 06.07..2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. भागीरथमल पुत्र लच्छाराम, उम्र–43साल, जाति–अहीर, निवासी–अहीरों का वास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1.काना पुत्र गोदू, 2.सुखा पुत्र गोदू, 3.देवू पुत्र गोदू, 4.पीथा पुत्र गोदू, 5.भगवती पत्नी जगदीश, 6.बनवारीलाल पुत्र जगदीश, 7.अरविन्दकुमार पुत्र जगदीश, 8.सिणगारी पत्नी लच्छाराम, 9.रामेश्वर पुत्र लच्छाराम, 10.टोडाराम पुत्र लच्छाराम, 11.चम्पादेवी पत्नी भँवरलाल, 12.योगेश पुत्र भँवरलाल, 13.मनीषा पुत्री भँवरलाल, 14.प्रदीप पुत्र भँवरलाल, 15.रामकुँवार पुत्र मूलाराम, 16.गोदीदेवी पत्नी मूलाराम, समस्त,जाति–अहीर, निवासी–अहीरों का वास, सुद्रासन, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 17.शाखा प्रबन्धक, सहकारी कॉपरेटिव बैंक, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18.शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा–नूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19.उप तहसीलदार मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20.तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 237/2018
दायर दिनाँक 06.07.2018, निर्णय दिनाँक 11.07.2018
भागीरथमल बनाम् काना, वगैरा।

उपस्थितः–
1. श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादी।
2. श्री विक्रम कुड़ी, वकील, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 11.07.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद अहीरों का बास में खसरा नम्बर 310 रकबा 10.03 बीघा, खसरा नम्बर 332 रकबा 05.00 बीघा, खसरा नम्बर 646 रकबा 11.10 बीघा, भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 14 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, तथा खसरा नम्बर 697/310 रकबा 12.13 बीघा, खसरा नम्बर 700/332 रकबा 02.10 बीघा, खसरा नम्बर 739/562 रकबा 24.05 बीघा, खसरा नम्बर 751/646 रकबा 11.09 बीघा भूमि अवस्थित है, जो कि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, तथा खसरा नम्बर 740/592 रकबा 24.05 बीघा, खसरा नम्बर 752/646 रकबा 11.09 बीघा भूमि अवस्थि है, जो कि, प्रतिवादीगण संख्या 15 व 16 के खातेदारी का रहा है।

अनुतोष वादी है, कि–

शरहद अहीरों का बास के निम्नांकित खसरान् की भूमियों की निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जावे,

1. खसरा नम्बर 697/310 रकबा 12.13 बीघा, खसरा नम्बर 700/332 रकबा 02.10 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम हटाकर उसके स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 14 का दर्ज किया जावे।
2. खसरा नम्बर 646 रकबा 11.10 बीघा में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 14 का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम दर्ज किया जावे।
3. खसरा नम्बर 752/646 रकबा 11.09 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 15 व 16 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का दर्ज किया जावे।
4. खसरा नम्बर 739/562 रकबा 24.05 बीघा में से रकबा 11.09 बीघा भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 15 व 16 के नाम से खातेदारी घोषित की जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 237/2018
दायर दिनॉक 06.07.2018, निर्णय दिनॉक 11.07.2018
भागीरथमल बनाम् काना, वगैरा।

स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 20 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 की ओर से वाद में इकबालिया जवाब पेश हुआ।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम अहीरों का बास सम्वत् 2073–2076 खेवट संख्या 78/67 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम अहीरों का बास सम्वत् 2073–2076 खेवट संख्या 06/05 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम अहीरों का बास सम्वत् 2073–2076 खेवट संख्या 61/50 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश (02), पेश की है।

वादी वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वादी की इस्तदुआ व प्रतिवादीगण के इकबालिया जवाब पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अवलोकन किया।

वाद में इकबालिया जवाब पेश है तथा किसी भी पक्षकार की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं है तथा वादी जरिये विद्वान वकील दावानुसार डिक्री चाहते हैं। ऐसी स्थिति में, दावानुसार वाद डिक्री किया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, दावानुसार डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद अहीरों का बास के वादवर्णित/वादग्रस्त खसरान् की भूमियों की वर्तमान खातेदारी को खारिज कर, इसके स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–,

1. खसरा नम्बर 697/310 रकबा 12.13 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 700/332 रकबा 02.10 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 14 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 (काना, सुखा, देबू, पीथा, भगवती, बनवारी व अरविन्द) का नाम हटाया जाता है।
2. खसरा नम्बर 646 रकबा 11.10 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 237/2018
दायर दिनाँक 06.07.2018, निर्णय दिनाँक 11.07.2018
भागीरथमल बनाम् काना, वगैरा।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 14 (सिणगारी, रामेश्वर, टोडाराम, चम्पादेवी, योगेश, मनीषा व प्रदीप) का नाम हटाया जाता है।

3. खसरा नम्बर 752/646 रकबा 11.09 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 15 व 16 (रामकुँवार व गोदीदेवी) का नाम हटाया जाता है।

4. खसरा नम्बर 739/562 रकबा 24.05 बीघा भूमि में से रकबा 11.09 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 15 व 16 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 (काना, सुखा, देबू, पीथा, भगवती, बनवारी व अरविन्द) का नाम हटाया जाता है तथा इस खसरे के शेष रकबा की खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

5. पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करावें।

उपर्युक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नोटः–<u>आदेश वर्णित उपर्युक्त खसरान् की भूमियों के, दीगर बैंक्स में रहन होने पर, भूमि के रहन मुक्त होने के बाद ही, डिक्री की पालना हो</u>।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **11.07.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना
डीडवाना

Scanned by CamScanner